

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT 8TH LEVEL, B-WING,
I.P. ESTATE NEW DELHI – 110002

No.F.14(130)/ V.S.2025/Power/1352-1354

Dated: 20/3/2025

To

The Dy. Secretary (Legislation),
Question Branch,
Delhi Vidhan Sabha,
Old Secretariat, Delhi – 110054

Sub: UnStarred Question No.44


Sir,

Please find enclosed copy of reply of the UnStarred Question No.44 for 24.03.2025 (100 Copies each along with a data in PDF File Format in pen drive) for your kind information and further necessary action at your end please.

This issues with the approval of the Hon'ble Minister (Power).


Encl. As above

Yours faithfully,


(Vikas Pandey)
Dy. Secretary (Power)

Copy to:-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity Department, Delhi Vidhan Sabha, Old Secretariat, Delhi - 110054 (150 Copies)
2. The OSD to Minister of Power, GNCTD


(Vikas Pandey)
Dy. Secretary (Power)

विभाग का नाम :- ऊर्जा विभाग
विभाग का पता :- आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय

अतारांकित प्रश्न संख्या-44
दिनांक :-24.03.2025

प्रश्नकर्ता श्री जरनैल सिंह

क्या माननीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या वर्तमान में डिस्कॉम (डीवीबी) के पेंशन प्राप्तकर्ता को कैशलैस इलाज की सुविधा प्राप्त है ;	वर्तमान में डिस्कॉम (डीवीबी) के पेंशनरों को सिर्फ 06 अस्पतालों में केवल 04 गम्भीर बीमारियों के लिए कैशलैस सुविधा देते हैं।
ख)	यदि हाँ, तो कैशलैस इलाज प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है; और	कैशलैस इलाज प्राप्त करने के लिए जिस अस्पताल में पेंशनर उपरोक्त बिमारियों के ईलाज हेतु भर्ती होता है, अस्पताल एक सूचना-पत्र के माध्यम से सीएमओ, डीटीएल को सूचित करता है जिसके बाद सीएमओ डीटीएल एक क्रेडिट पत्र संबंधित अस्पताल को प्रेषित करता है जिसके बाद कैसलैश प्रक्रिया के तहत ईलाज शुरू हो जाता है।
ग)	यदि नहीं, तो दिनांक 20.02.2025 के बाद डीवीबी पेंशनरों के लिए कैशलैस इलाज की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?	उपरोक्तनुसार लागू नहीं होता है।

सूचना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।

विकास पांडे

(विकास पाण्डे)
उप सचिव (ऊर्जा)

VIKAS PANDEY
Dy. Secretary
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02